क्रम-संख्या—685

रजि० नं० एल. डब्लू./एन. पी. 561

लाइसेन्स नं० डब्लू० पी०—41

लाइसेन्स टू पोस्ट एट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 10 अप्रैल, 1989

चैत्र 20, 1911 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग—1

संख्या 716/सत्रह-वि-1-1 (क) 17-1989

लखनऊ, 10 अप्रैल, 1989

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश चल-चित्र और कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 1989 पर दिनांक 8 अप्रैल, 1989 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 1989 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश चल-चित्र और कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 1989

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 1989)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश चल-चित्र (विनियमन) अधिनियम, 1955, उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर अधिनियम, 1979 और उत्तर प्रदेश विज्ञापन कर अधिनियम, 1981 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के चालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

अध्याय—एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश चल-चित्र और कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 1989 कहा जायगा।

(2) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करे और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबन्धों के लिए भिन्न-भिन्न दिनांक नियत किये जा सकते हैं।

अध्याय—दो

उत्तर प्रदेश चल-चित्र (विनियमन) अधिनियम, 1955 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 1956 की धारा 5 का संशोधन

2---उत्तर प्रदेश चल-चित्र (विनियमन) अधिनियम, 1955 को, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 5 में, उपधारा (1) में, खण्ड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड और उसका स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्---

"(खख) कोई जलपान-गृह उस स्थान में नहीं चलाया जाता है जहां वीडियो द्वारा कोई प्रदर्शन किया जाना प्रस्तावित हो,

स्पष्टीकरण--इस खण्ड की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायगा कि वह ठहरने वालों द्वारा अध्यासित किये जाने वाले कमरों में वीडियो द्वारा प्रदर्शन के लिए किसी होटल को लाइसेन्स दिये जाने से रोकता है।"

धारा 6-क का संशोधन

3---मूल अधिनियम की धारा 6-क में, उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्---

"(4) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक अधिकारी को चलचित्र यंत्र या वीडियो द्वारा किसी ऐसे प्रदर्शन को जो धारा 3 के उपबन्धों का उल्लंघन करके किया जा रहा हो, रोकने की शक्ति होगी और वह इस प्रयोजन के लिये उतने न्यूनतम बल का प्रयोग कर सकता है जितना वह मामले की परिस्थितियों में आवश्यक समझे।"

धारा 8 का संशोधन

4---मूल अधिनियम की धारा 8 में, उपधारा (1) में, शब्द "जुर्माने से जो दो हजार रुपये तक हो सकता है" के स्थान पर शब्द "ऐसी अवधि के लिये जो छः मास तक हो सकती है, साधारण कारावास से या जुर्माने से जो पांच हजार रुपये तक हो सकता है या दोनों से" रख दिये जायेंगे।

धारा 13 का संशोधन

5---मूल अधिनियम की धारा 13 में, उपधारा (2) में, खण्ड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्---

"(कक) पचास हजार रुपये से अनधिक के प्रशमन प्रभार का आरोपण जिसका भुगतान करने पर चलचित्र यंत्र द्वारा प्रदर्शन के लिए उपयोग किये जाने वाले स्थल या भवन से संबंधित नियमों के उपबन्धों से धारा 10 के अधीन छूट दी जा सकती है;"।

अध्याय—तीन

उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर अधिनियम, 1979 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28 सन् 1979 की धारा 2 का संशोधन

6---उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर अधिनियम, 1979 की, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में,

(क) खण्ड (ठ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्---

"(ठठ) किसी स्थानीय क्षेत्र के सम्बन्ध में "जनसंख्या" का तात्पर्य ऐसे स्थानीय क्षेत्र की जनसंख्या से है जिसे अन्तिम पूर्ववर्ती जनगणना में अभिनिश्चित किया गया है और जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित किये गये हैं;"

(ख) खण्ड (ड) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्---

"(डड) "सार्वजनिक सेवा यान" का वही अर्थ होगा जो उसके लिए मोटर यान अधिनियम, 1939 में दिया गया है;";

(ग) खण्ड (द) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्---

"(ध) "वीडियो सिनेमा" का तात्पर्य वीडियो द्वारा प्रदर्शन से है जैसा कि वह उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) अधिनियम, 1955 में परिभाषित है और उक्त अधिनियम के अधीन उसे लाइसेंस प्राप्त है।"

धारा 3 का संशोधन

7---मूल अधिनियम की धारा 3 में,---

(क) उपधारा (1) में,---

(एक) शब्द और अंक "धारा 4 लागू होती है" के स्थान पर शब्द और अंक "धारा 4 या धारा 4-क या धारा 4-ख लागू होती है या इस उपधारा के परन्तुक के अधीन कोई सम्मत भुगतान किया जाता है", रख दिये जायेंगे;

(दो) अन्त में निम्नलिखित परन्तुक और उसका स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्––

"परन्तु किसी सिनेमा का मालिक किसी स्थानीय क्षेत्र में जिसकी जनसंख्या एक लाख से अधिक न हो, इस उपधारा के अधीन भुगतान के बदले में राज्य सरकार को ऐसी शर्तों पर और ऐसी रीति से, जो विहित की जाये और ऐसी दर पर जो सकल संग्रहण क्षमता की चालीस प्रतिशत से अधिक न हो, जैसी राज्य सरकार समय-समय पर अधिसूचित करे, सम्मत भुगतान कर सकता है और स्थानीय क्षेत्रों की भिन्न-भिन्न श्रेणियों के लिये सम्मत भुगतान की भिन्न-भिन्न दरें अधिसूचित की जा सकती है।

स्पष्टीकरण––पूर्ववर्ती परन्तुक के प्रयोजनों के लिये "सकल संग्रहण क्षमता" की गणना चालू टिकट दरों द्वारा (जिसके अन्तर्गत प्रवेश के लिये भुगतान और उस पर आमोद कर भी है) सिनेमा में विभिन्न श्रेणियों में बैठने के स्थान की संख्या को गुणा करके और इस प्रकार प्राप्त राशि को उतने प्रदर्शनों की जितने प्रदर्शन सिनेमा का मालिक एक दिन में करने की घोषणा करे, संख्या से गुणा करके की जायगी।"

(ख) उपधारा (3) में, जहां-जहां भी शब्द "पच्चीस पैसे" आये हों, उनके स्थान पर शब्द "दस पैसे" रख दिये जायेंगे।

नयी धारा 3-क का बढ़ाया जाना

8––मूल अधिनियम की धारा 3 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्––

वायु शीतित और वातानुकूलित सुविधा के लिए अतिरिक्त प्रभार

"3-क (1) इस अधिनियम में दी गयी किसी बात के होते हुए भी, किसी केन्द्रीय वायु शीतित या केन्द्रीय वातानुकूलित सिनेमा का मालिक जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुज्ञा से, ऐसे सिनेमा में किसी आमोद में प्रवेश के लिये भुगतान करने वाले व्यक्ति से किसी वर्ष में पन्द्रह मार्च से प्रारम्भ होने वाली और अगले पन्द्रह सितम्बर को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान वायु शीतन या वातानुकूलन सुविधा के लिये क्रमशः दस पैसे और पच्चीस पैसे का अतिरिक्त प्रभार वसूल कर सकता है।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रभारित धनराशि को किसी आमोद में प्रवेश के लिए भुगतान नहीं समझा जायगा।

(3) जहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट अतिरिक्त प्रभार––

(क) जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुज्ञा के बिना, या

(ख) यथास्थिति, वायु शीतन या वातानुकूलन सुविधा की व्यवस्था किये बिना, वसूल किया गया हो, वहां इस प्रकार वसूल की गयी धनराशि को आमोद में प्रवेश के लिए अतिरिक्त भुगतान और उस पर देय आमोद कर के योग के बराबर समझा जायगा।"

नई धारा 4-क और 4-ख का बढ़ाया जाना

9––मूल अधिनियम की धारा 4 के पश्चात्, निम्नलिखित धारायें बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात्––

वीडियो सिनेमा पर कर

"4-क (1) किसी वीडियो सिनेमा का मालिक प्रति सप्ताह के लिए तीन हजार रुपये से अनधिक की ऐसी दरों पर, जो राज्य सरकार समय-समय पर इस निमित्त अधिसूचित करे, आमोद कर का देनदार होगा।

(2) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये ऐसे स्थानीय क्षेत्रों को जहां स्थायी सिनेमा स्थित हों, जनसंख्या और वहां विद्यमान स्थायी सिनेमा की संख्या को ध्यान में रखकर वीडियो सिनेमा का वर्गीकरण कर सकती है और वीडियो सिनेमा के भिन्न-भिन्न वर्गों के लिये आमोद कर की भिन्न-भिन्न दरें अधिसूचित कर सकती है।

(3) जहां कोई मालिक जो उपधारा (1) के अधीन आमोद कर का देनदार हो, जिला मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी का यह समाधान कर दे कि किसी विशिष्ट सप्ताह में उसके द्वारा किये गये वीडियो प्रदर्शन की संख्या इक्कीस से कम थी वहां, यथास्थिति, जिला मजिस्ट्रेट या ऐसा अन्य अधिकारी, ऐसे मालिक को, किये गये प्रदर्शनों की संख्या इक्कीस से जितनी कम हो, उतने प्रदर्शनों में प्रत्येक के लिए साप्ताहिक कर की धनराशि के इक्कीसवें भाग की दर से छूट दे सकता है।

(4) इस धारा के अधीन देय कर का भुगतान, संग्रह और वसूली ऐसी रीति से की जायगी जैसी विहित की जाय।

सार्वजनिक सेवा यान या होटलों में वीडियो प्रदर्शन पर कर

4-ख (1) किसी सार्वजनिक सेवा यान का मालिक जो ऐसे यान में वीडियो द्वारा प्रदर्शन करता है, एक हजार पांच सौ रुपये प्रतिमास से अनधिक की ऐसी दर पर जैसी राज्य सरकार समय-समय पर अधिसूचित करे, आमोद कर का देनदार होगा।

(2) जहां ऐसे यान का मालिक जिला मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी का यह समाधान कर दे कि यान किसी विशिष्ट मास में सभी दिन नहीं चला वहां, यथास्थिति, जिला मजिस्ट्रेट या ऐसा अन्य अधिकारी ऐसे मालिक को उतने प्रत्येक दिन के लिये, जितने तीस दिन से कम हों, मासिक कर के तीसवें भाग की दर से, छूट दे सकता है।

(3) जहां वीडियो द्वारा प्रदर्शन किसी होटल में ठहरने वालों को किराये पर दिये गये कमरों में किया जाय, वहां ऐसे होटल का मालिक, ऐसे प्रत्येक कमरे के लिये जिसमें वीडियो प्रदर्शन की सुविधा हो, एक सौ रुपये प्रति सप्ताह से अनधिक की ऐसी दर पर, जैसी राज्य सरकार समय-समय पर अधिसूचित करे, आमोद कर का देनदार होगा।

(4) इस धारा के अधीन देय कर का भुगतान, संग्रह और वसूली विहित रीति से की जायगी।"

धारा 15 का संशोधन

10—मूल अधिनियम की धारा 15 में, उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्—

"(4) जहां किसी आमोद के लिए स्वीकृत कोई अनुज्ञा या लाइसेन्स इस धारा के अधीन प्रतिसंहृत या निलम्बित कर दिया गया हो, वहां, यथास्थिति, जिला मजिस्ट्रेट या आयुक्त को ऐसे आमोद को रोकने की शक्ति होगी और वह इस प्रयोजन के लिये उतने न्यूनतम बल का प्रयोग कर सकता है जितना वह मामले की परिस्थितियों में आवश्यक समझे।"

नई धारा 29-क का बढ़ाया जाना

11—मूल अधिनियम की धारा 29 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्—

अनुज्ञा के प्रतिसंहृत या निलम्बित होने पर आमोद के लिए शास्ति

"29-क—जो कोई धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन किसी आमोद के लिये अनुज्ञा या लाइसेन्स के निलम्बित या प्रतिसंहृत रहने पर, ऐसे आमोद का आयोजन करता है, वह ऐसी अवधि के लिये जो छः मास तक हो सकती है, साधारण कारावास से या जुर्माने से जो पांच हजार रुपये तक हो सकता है या दोनों से दण्डनीय होगा।"

धारा 30-क का संशोधन

12—मूल अधिनियम की धारा 30-क में, शब्द और अंक "धारा 29" के पश्चात् शब्द और अंक "या धारा 29-क" बढ़ा दिये जायेंगे।

धारा 32 का संशोधन

13—मूल अधिनियम की धारा 32 में, जहां-जहां भी शब्द और अंक "धारा 29" आये हों, उनके पश्चात् शब्द और अंक "या धारा 29-क" बढ़ा दिये जायेंगे।

नयी धारा 32-क का बढ़ाया जाना

14—मूल अधिनियम की धारा 32 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्—

सिविल न्यायालयों की अधिकारिता पर रोक

"32-क—किसी सिविल न्यायालय को ऐसे किसी प्रश्न का विनिश्चय या निपटारा करने की अधिकारिता नहीं होगी जिसका विनिश्चय या निपटारा इस अधिनियम के द्वारा या अधीन राज्य सरकार या किसी अन्य प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा किया जाना अपेक्षित हो।"

अध्याय—चार

उत्तर प्रदेश विज्ञापन कर अधिनियम, 1981 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 1981 की धारा 3 का संशोधन

15—उत्तर प्रदेश विज्ञापन कर अधिनियम, 1981 की, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 3 में, उपधारा (1) में, निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्—

"परन्तु कोई मालिक इस उपधारा के अधीन देय कर के बदले ऐसी शर्तों पर, ऐसी रीति से और ऐसी दरों पर जो राज्य सरकार इस निमित्त अधिसूचित करे, एकमुश्त कर का भुगतान कर सकता है और जहां कोई मालिक ऐसे एकमुश्त कर का भुगतान करने का विकल्प करता है, वहां उससे उस अवधि के लिए जिसके लिए एकमुश्त कर का भुगतान किया गया हो, धारा 5 में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, उक्त धारा के अधीन लेखा रखने और विवरणी प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं की जायगी।"

धारा 4 का संशोधन

16—मूल अधिनियम की धारा 4 में, निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्—

"परन्तु किसी मालिक द्वारा एकमुश्त कर का भुगतान करने के मामले में, मालिक द्वारा इस धारा के अधीन ऐसे किसी व्यक्ति से जिसकी ओर से विज्ञापन प्रदर्शित किया जाय, वसूल की जा सकने वाली राशि ऐसे विज्ञापन पर धारा 3 के अधीन देय विज्ञापन कर की राशि के बराबर होगी।"

आज्ञा से,
नारायण दास,
सचिव।

No. 716(2)/XVII-V—1-1(KA)-17-1989

Dated Lucknow, April 10, 1989

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Chal-Chitra Aur Karadhan Vidhi (Sanshodhan) Adhiniyam, 1989, (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 12 of 1989) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on April 8, 1989.

THE UTTAR PRADESH CINEMAS AND TAXATION LAWS (AMENDMENT) ACT, 1989

(U. P. ACT No. 12 OF 1989)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Cinemas (Regulation) Act, 1955, the Uttar Pradesh Entertainments and Betting Tax Act, 1979 and the Uttar Pradesh Advertisements Tax Act, 1981

IT IS HEREBY enacted in the Fortieth Year of the Republic of India as follows :

CHAPTER I

Preliminary

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Cinemas and Taxation Laws (Amendment) Act, 1989.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification appoint in this behalf and different dates may be appointed for different provisions of this Act.

CHAPTER II

Amendment of the Uttar Pradesh Cinemas (Regulation) Act, 1955

Amendment of section 5 of U.P. Act 3 of 1956

2. In section 5 of the Uttar Pradesh Cinemas (Regulation) Act, 1955, hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act, in sub-section (1), *after* clause (*b*), the following clause and Explanation thereto shall be *inserted*, namely :

"(*bb*) no restaurant is run in the place in which exhibition by means of video is proposed to be given ;

Explanation—Nothing contained in this clause shall be construed so as to prevent licence being granted to any hotel for exhibition by means of video in the rooms to be occupied by the lodgers."

Amendment of section 6-A

3. In section 6-A of the principal Act, *after* sub-section (3), the following sub-section shall be *inserted*, namely :—

"(4) Every officer referred to in sub-section (1) shall have the power to prevent any exhibition by means of cinematograph or video being given in contravention of the provisions of section 3 and may, for that purpose, use such minimum force as he may consider necessary in the circumstances of the case."

Amendment of section 8

4. In section 8 of the principal Act, in sub-section (1), *for* the words "with fine which may extend to two thousand rupees" the words "with simple imprisonment for a term which may extend to six months or with fine which may extend to five thousand rupees, or with both" shall be *substituted*.

Amendment of section 13

5. In section 13 of the principal Act, in sub-section (2), *after* clause (*a*) the following clause shall be *inserted*, namely :—

"(*aa*) for the imposition of composition charges not exceeding fifty thousand rupees, on payment whereof exemption under section 10 may be granted from the provisions of the rules relating to the site or building to be used for exhibition by means of cinematograph"

CHAPTER III

Amendment of the Uttar Pradesh Entertainments and Betting Tax Act, 1979

Amendment of section 2 of U.P. Act no. 28 of 1979

6. In section 2 of the Uttar Pradesh Entertainments and Betting Tax Act, 1979, hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act,—

(*a*) *after* clause (*l*), the following clause shall be *inserted*, namely : —

"(*ll*) 'population' in relation to a local area means the population of such local area as ascertained at the last preceding census of which the relevant figures have been published ;" ;

(*b*) *after* clause (*m*), the following clause shall be *inserted*, namely—

"(*mm*) 'public service vehicle' shall have the meaning assigned to it in the Motor Vehicles Act, 1939;" ;

(*c*) *after* clause (*r*), the following clause shall be *inserted*, namely—

"(*s*) 'Video Cinema' means an exhibition by means of video as defined in the Uttar Pradesh Cinemas (Regulation) Act, 1955 and licensed under the said Act."

Amendment of section 3.

7. In section 3 of the principal Act,—

(*a*) in sub-section (1),—

(i) *for* the words and figure "section 4 applies", the words and figures "section 4 or section 4-A or section 4-B applies or a compounded payment is made under the proviso to this sub-section", shall be *substituted* ;

(ii) the following proviso and explanation thereto shall be *inserted* at the end, namely—

"Provided that a proprietor of a cinema in a local area having a population not exceeding one lac, may, in lieu of payment under this sub-section, pay a compounded payment to the State Government on such conditions and in such manner as may be prescribed and at such rate not exceeding forty per cent of the gross collection capacity, as the State Government may from time to time notify, and different rates of compounded payments may be notified for different categories of local areas.

Explanation—For the purposes of the foregoing proviso "gross collection capacity" shall be calculated by multiplying the number of seats in various classes in the cinema by the current ticket rates (including payment for admission and entertainment tax thereon) and multiplying the sum so derived by such number of shows as the proprietor of the cinema declares to give in a day." ;

(*b*) in sub-section (3), *for* the words "twenty five paise" wherever they occur, the words "ten paise" shall be *substituted*.

Insertion of new section 3-A.

8. *After* section 3 of the principal Act, the following section shall be *inserted*, namely :—

Extra charge for air-cooled and air-conditioned facility

"3-A. (1) Notwithstanding anything contained in this Act, the proprietor of a centrally air-cooled or centrally air-conditioned cinema may, with prior permission of the District Magistrate, realise from the person making payment for admission to an entertainment in such cinema an extra charge of ten paise and twenty-five paise for air cooling or air conditioning facility respectively during the period commencing on the fifteenth day of March in any year and ending on the fifteenth day of September next following.

(2) The amount charged under sub-section (1) shall not be deemed to be payment for admission to an entertainment.

(3) Where the extra charge referred to in sub-section (1) has been realised—

(*a*) without prior permission of the District Magistrate, or

(*b*) without providing the air cooling or air conditioning facility, as the case may be,

the amount so realised shall be deemed to represent the aggregate of additional payment for admission to the entertainment and entertainment tax payable thereon."

Insertion of new Sections 4-A and 4-B

9. *After* section 4 of the principal Act, the following sections shall be *inserted*, namely :—

Tax on Video Cinema—

"4-A. (1) The proprietor of a video cinema shall be liable to pay entertainment tax at such rates not exceeding three thousand rupees for every week, as the State Government may, from time to time, notify in this behalf.

(2) The State Government may by notification classify video cinemas for the purposes of this Act with regard to the population of, and the number of permanent cinemas existing in, the local areas where they are situate, and may notify different rates of entertainment tax for different classes of video cinemas.

(3) Where any proprietor liable to pay entertainment tax under sub-section (1) satisfies the District Magistrate or any other officer authorised by the State Government in this behalf that the number of video exhibitions provided by him in a particular week were less than twenty-one, the District Magistrate or such other officer, as the case may be, may grant rebate to such proprietor at the rate of one twenty first of the amount of weekly tax for every exhibition by which the number of exhibitions provided falls short of twenty-one.

(4) The tax payable under this section shall be paid, collected and realised in such manner as may be prescribed.

Tax on Video show in public service vehicles or hotels

4-B. (1) The proprietor of a public service vehicle who provides exhibition by means of video in such vehicle shall be liable to pay entertainment tax at such rate not exceeding one thousand five hundred rupees per month, as the State Government may from time to time notify.

(2) Where the proprietor of such vehicle satisfies the District Magistrate or any other officer authorised in this behalf by the State Government, that the vehicle did not ply on all the days in a particular month, the District Magistrate or such other officer, as the case may be, may grant rebate to such proprietor at the rate of one-thirtieth of the monthly tax for each day by which the number of days falls short of thirty.

(3) Where exhibition by video is given in rooms let out to lodgers in an hotel, the proprietor of such hotel shall be liable to pay entertainment tax at such rate not exceeding one hundred rupees per week for every room having the facility of video exhibition, as the State Government may notify from time to time.

(4) The tax payable under this section shall be paid, collected and realised in the manner prescribed."

Amendment of section 15.

10. In section 15 of the principal Act, *after* sub-section (3), the following sub-section shall be *inserted*, namely :-

"(4) Where any permission or licence granted for an entertainment has been revoked or suspended under this section, the District Magistrate or, as the case may be, the Commissioner shall have the power to prevent such entertainment and may for this purpose use such minimum force as he may consider necessary in the circumstances of the case."

Insertion of new section 29-A.

11. *After* section 29 of the principal Act, the following section shall be *inserted*, namely :-

Penality for entertainment when permission is revoked or suspended

"29-A. Whoever holds any entertainment while the permission or licence for such entertainment remains suspended or revoked under sub-section (1) of section 15, shall be punishable with simple imprisonment for a term which may extend to six months or with fine which may extend to five thousand rupees or with both."

Amendment of section 30-A.

12. In section 30-A of the principal Act, *after* the word and figure "section 29", the words and figure "or section 29-A" shall be *inserted*.

Amendment of section 32.

13. In section 32 of the principal Act, *after* the word and figure "section 29", wherever they occur, the words and figure "or Section 29-A" shall be *inserted*.

Insertion of new section 32-A

14. *After* section 32 of the principal Act, the following section shall be *inserted*, namely :—

Bar of jurisdiction of Civil Courts.

"32-A. No civil court shall have jurisdiction to decide, or to deal with any question, which is by or under this Act required to be decided or dealt with, by the State Government, or any other authority or officer."

CHAPTER IV

Amendment of the Uttar Pradesh Advertisements Tax Act, 1981

Amendment of section 3 of U.P. Act no 16 of 1981.

15. In section 3 of the Uttar Pradesh Advertisements Tax Act, 1981, herein after in this Chapter referred to as the principal Act, in sub-section (1), the following proviso thereto shall be *inserted*, namely :—

"Provided that a proprietor may, in lieu of the tax payable under this sub-section, pay a lump sum tax on such conditions, in such manner and at such rates, as the State Government may notify in this behalf and where a proprietor elects to pay such lump sum tax he shall not be required to keep accounts and furnish returns under section 5 for the period for which lump sum tax is paid, notwithstanding anything to the contrary contained in that section."

Amendment of section 4.

16. In section 4 of the principal Act, the following proviso thereto shall be *inserted*, namely :

"Provided that in case of payment of a lump sum tax by a proprietor, the amount recoverable under this section by the proprietor from any person on whose behalf the advertisement is exhibited shall be equivalent to the amount of advertisement tax payable under secion 3 on such advertisement."

By order,

NARAYAN DAS,

Sachiv.

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 16 सा० (वित्त०)—(216)—1989—850 (मेक०)।